कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

//विविध–आदेश//

(कार्य–विभाजन में संशोधन क्र0–...15...)

क्रमांक...62.........../ रीवा, दिनांक 15/अप्रैल/2024
दो–1–1/2000

मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार श्री विवेकानंद त्रिवेदी, पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा का स्थानांतरण अन्य जिला स्थापना पर होने तथा उनके स्थान पर श्री संदीप श्रीवास्तव पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की पदस्थापना होने तथा मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक बी/1011/तीन–10–42/75 जबलपुर दिनांक 08.04.2024 के द्वारा श्री दिलीप महोर, नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा को 15 दिवस मनगवॉ श्रृंखला न्यायालय में बैठक हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की0 धारा–15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–10 की उपधारा–2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 216/दो–1–1/2000 दिनांक 17.05.2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :–

1. सरल क्रमांक 7 के स्तम्भ क्रमांक 2 में लिखी इबारत श्री विवेकानंद त्रिवेदी, पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर श्री संदीप श्रीवास्तव पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को जोड़ा जाता हैं।

2. सरल क्रमांक 58 को विलोपित कर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :–

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
58	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनगवां जिला रीवा (श्रृंखला न्यायालय)	सिविल जिला रीवा की तहसील मनगवां एवं राजस्व सर्किल गढ़	1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्‌भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2– रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्‌भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 3– रूपये दौ सौ मूल्य तक के लघु वादस्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत).

2835

3. सरल कमांक 28 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश के स्तम्भ कमांक 03 में **"सिविल जिला रीवा की तहसील मनगंवा"** को एवं स्तम्भ कमांक 4 में कंडिका कमांक 6 के पश्चात् 7 लगायत 9 निर्मित करते हुये निम्नलिखित ईबारत जोड़ी जाती है :–

7. रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण ।

8. रूपये दो सौ से अधिक और रूपये पांच सौ से अनाधिक मूल्य के लघु वाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)

9. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र।

4. परिशिष्ट–अ की कंडिका 52 को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

क्र0	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें
52	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड श्रृंखला न्यायालय मनगवां	1. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा

शेष आदेश यथावत रहेगा।

(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक 1897 /
दो–1–1/2000

रीवा, दिनांक 15/04/2024

प्रतिलिपिः–

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मनगंवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा म0प्र0।
4. फाईलिंग काउंटर के समस्त कर्मचारी रीवा/मनगवां।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)